अनवार दीप सिंह बनाम जोगेन्द्र सिंह वर्गेय प्र.क्र. 92/2010

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | पत्रावली प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम व धारा 151CPC बहस हेतु पेश हुई। वादी व प्रति.संख्या 1 एवं दिलप्रीत सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह के अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रति. संख्या 1 एवं दिलप्रीत सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र अनुसार कथन किया कि प्रति.संख्या 2 भूपेन्द्रसिह की मृत्यु दिनांक 03.05.2015 एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक 14.05.2021 को हो चुकी है। विधिक वारिसों को आज तक रिकार्ड पर नही लिया गया है। वादी को प्रति.संख्या 1, 2 की मृत्यु का शुरू से ही ज्ञान था। वाद वादी निश्चित समय में प्रतिवादी संख्या 1, 2 के वारिसान को रिकार्ड पर नही लेने के कारण ABETE हो चुका है खारिज किया जावे।<br><br>उक्त प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.08.2018 व प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2022 का प्रतिरोध करते हुए वादी अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार कथन किया गया कि दिलप्रीत सिह पुत्र भूपेन्द्र सिह के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2022 के अनुसार जोगेन्द्र सिह पुत्र चेत सिह फौत हो चुका है। अतः जोगेन्द सिह का प्रार्थना पत्र दिनांक 14.08.2018 स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रभावहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तथा दिलप्रीत सिह के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.11.2022 को आधार मानते हुए वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी गत तारीख पेशी दिनांक 30.11.2022 को अदालत हाजा के समक्ष पेश दिया है जो कि अन्दर मियाद है। दिलप्रीत सिह ने जोगेन्द्र सिह पुत्र चेतसिह के फौत होने के सम्बंध में कोई सबूत यानि मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरा पेश नही किये है। वादी गांव नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ का निवासी है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु प्रार्थी दिलप्रीत सिह के प्रार्थना पत्र के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हुई है जिसकी वादी को कोई जानकारी नही है। दिलप्रीत सिह अपना मुख्यत्यारआम जरिये डाक भेज सकता है तो वह मुखत्यार आम के साथ जोगेन्द्र सिह का मुत्यु प्रमाण पत्र भी भेज सकता था। वादी के बार–बार आग्रह के बावजूद भी दिलप्रीत सिह ने प्रति.सं. 1 जोगेन्द्र सिह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही किया हैं। दिनांक 10.08.2021 को पेश किया गया प्रार्थना पत्र जिसमें श्री एस.के.हिसारिया अधिवक्ता ने वसीयतनामा के आधार पर दिलप्रीत सिह को पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की थी। जबकि श्री एस.के. हिसारिया अधिवक्ता को यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नही था। प्रतिवादी के उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का आग्राह किया। | |

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी